

## uxj fodkl U; kl ] dkWk

आश्रय हेतु आवास की उपलब्धता मनुष्य के लिए मूलभूत आवश्यकता है। परन्तु भूखण्डों, भवन निर्माण सामग्री एवं मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण निर्धन वर्ग के लिए शहरी क्षेत्रों में आवास क्रय कर पाना कठिन हो गया है। इस कारण से ज्यादातर लोग कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं से वंचित परिस्थितियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं।

उपलब्ध आकड़ों के अनुसार तेज गति से बढ़ते शहरीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में पलायन के कारण शहर क्षेत्रों में कमजोर एवं अल्प आय वर्गों के लिए आवासों की उपलब्धता में भारी कमी महसूस की जा रही है।

शहरी निर्धन वर्ग की परेशानी एवं इन वर्गों के लिए आवासों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा कमजोर/अल्प आय वर्ग को वहनीय (affordable) कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 लागू की गयी है। नगर विकास न्यास कोटा द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 1A के अर्न्तगत मंगलम् अपार्टमेंट-प्रेम नगर आवास योजना में प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 368 (जी+3) आवासों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

उपलब्धता के अनुसार आवासों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है। आवासों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा। जिसमें राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आवेदन पुस्तिका में आवेदन की शर्तें एवं आवास की लागत आदि बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।

'kklkdkeukvka I fgr A

रामकुमार मेहता

अध्यक्ष

नगर विकास न्यास, कोटा

MkW ekguiky ; kno

I fpo

uxj fodkl U; kl dkWk

**मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अर्न्तगत  
मंगलम् अपार्टमेंट-प्रेम नगर आवासीय योजना में  
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवासों के पंजीकरण हेतु  
सामान्य निबन्धन एवं शर्तें**

**1. प्रस्तावना**

भारत की लगभग 26% शहरी आबादी अभी भी ऐसी आमदनी पर जीवन यापन कर रही है जो कि गरीबी रेखा से नीचे है उनमें ज्यादातर लोग गंदी बस्ती और छोटे घनत्व (बसावट) में अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं। ये लोग सम्मानित जीवन, आश्रय, सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक सेवाओं के अधिकारों से वंचित हैं। इनकी आमदनी का 80% हिस्सा खान-पान में खर्च हो जाता है और जीवन निर्वाह हेतु अन्य आवश्यकताओं जैसे आवास आदि के लिए बहुत कम हिस्सा बचता है। भूमि एवं निर्माण लागत में अत्याधिक वृद्धि के कारण ये लोग मूलभूत सुविधाओं से युक्त योजना में आवास की व्यवस्था नहीं कर सकते और मलिन बस्तियों के अस्वच्छ वातावरण में रहने को मजबूर हो जाते हैं। देश की करीब एक तिहाई शहरी आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है।

अतः शहरी निर्धन वर्ग को वहनीय (अफोर्डेबल) कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 लागू की गई है, ताकि शहरी निर्धन वर्ग को मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, आदि से युक्त योजनाओं में कम कीमत पर पक्के आवास उपलब्ध कराये जा सकें। इस क्रम में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अर्न्तगत मंगलम् अपार्टमेंट-प्रेम नगर आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 368 (जी+3) आवास निर्माण हेतु योजना स्वीकृत की गई है।

मंगलम् अपार्टमेंट-प्रेम नगर आवासीय योजना में नगर विकास न्यास द्वारा पूर्व में 3436 (जी+3) आवासों का निर्माण कर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराकर आवासों का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है। प्रेमनगर आवासीय योजना भामाशाह मण्डी के समीप स्थित रेल्वे ओवरब्रिज के दोनो तरफ स्थित है। निम्न स्थानों से योजना की दूरी निम्नानुसार है।

**तालिका 'अ'**

LFkku	njh
1- , jkMte   fdly   s	8-00 fd- eh-
2- Mh-l h-, e-   fdly   s	2-00 fd- eh
3- vUKUri gk   fdly   s	2-00 fd- eh

## 2. पंजीकरण एवं प्रशासनिक शुल्क

2.1 आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रकार से प्रशासनिक शुल्क एवं पंजीकरण राशि **सचिव नगर विकास न्यास, कोटा** के नाम से कोटा शहर में देय डी.डी. / पे ऑर्डर के रूप में जमा करवानी होगी।

rkfydk \*c\*

क्र.सं.	आय वर्ग	प्रशासनिक	पंजीकरण	कुल देय राशि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	2000/-	10,000/-	12,000/-

2.1 योजना में सफल आवेदकों द्वारा जमा करवाया गया प्रशासनिक शुल्क आवास लागत में सम्मिलित नहीं होगा एवं न ही लौटाया जायेगा। पंजीकरण राशि को आवास की लागत में समायोजित कर दिया जावेगा। पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों को भी जमा प्रशासनिक शुल्क नहीं लौटाया जायेगा, केवल पंजीकरण राशि ही लौटायी जायेगी।

2.2 आवंटन के समय उपलब्धता के अनुसार आवासों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

## 3. आवासों की संख्या एवं कीमत

योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध आवासों की संख्या एवं अनुमानित कीमत का विवरण निम्नानुसार है

rkfydk \*l\*

क्र.सं.	आय वर्ग	उपलब्ध आवासों की संख्या	आवासों की अनुमानित कीमत
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	368	3.90 लाख

3.1 jkT; ljdkj }kjk iz/kkuea=h vkokl ; kstukUrxr : - 1-50 yk[k ifr vkokl ds vuqku gsrq bl ; kstuk dh vuqkakk dlnz ljdkj dks dj nh xbz gA dlnz ljdkj }kjk vuqku Lohdr djus ij vuqku jkf'k ea l s fuf'Pkr jkf'k U; kl fu.kz ds vuq kj vkokl dh ykxr es l s lek; kftr dj yh tk; xhA

## 4. आवेदक की पात्रता

rkfydk \*n\*

क्र.सं.	आय वर्ग	वार्षिक आय
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	रु. 1.50 लाख तक

- 4.2 राजस्थान राज्य के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा योजना में आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- 4.3 आवेदक का कोटा या 1,00,000 से अधिक आबादी वाले राजस्थान के किसी भी शहर में स्वयं का अथवा परिवार के किसी आश्रित सदस्य का आशिक अथवा पूर्ण अधिकृत लीज या फ्री होल्ड आधार पर आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिये।
- 4.4 आवेदक व्यस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।

## 5. आवेदन भरने की प्रक्रिया

- 5-1  $vkonu\ i = vkonu\ i\ (Lrdk\ ds\ vfre\ i\ "B\ ij\ mYyf\ [kr\ cfd\ ds\ ek/; e\ l\ s\ i\ klr\ dj\ vfre\ fnukd\ rd\ mDr\ cfd\ ea\ tek\ djok; s\ tk\ l\ drsgA\ bl\ ds\ vfrfjDr\ jktLFkku\ ds\ l\ Hkh\ b\&fe = d\ l\ nka\ ds\ ek/; e\ l\ s\ Hkh\ Online\ vkonu\ tek\ djok; s\ tk\ l\ drsgA$
- 5.2 आवेदन पुस्तिका में निर्धारित फार्म प्रारूप में समस्त जानकारियां शुद्ध हिन्दी में एवं स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखें। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं०/मोबाईल नं० लिखें तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम लिखें।
- 5.3 आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी तरह से चिपकाएँ।
- 5.4 आवेदन पत्र जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 5.5 आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करे जो कॉलम लागू नहीं होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नहीं) अंकित करें।
- 5.6 आरक्षण हेतु निर्धारित कॉलम में अपनी श्रेणी इंगित करें
- 5.7 आवेदक डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर के पीछे अपना नाम, चालान क्रमांक एवं मोबाईल नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

- 5-8  $vkonu\ i = ds\ l\ kfk\ fuEu\ nLrkost\ l\ yXu\ djuk\ l\ (uf'pr\ djA$
- i)  $i\ 'kkl\ fud\ ,oa\ i\ ath; u\ 'k\ yd\ dk\ cfd\ Mk\ V\ Nk; ki\ fr\ ds\ l\ kfk$
- ii)  $cfd\ [krs\ dh\ i\ kl\ cfd\ ds\ i\ fke\ i\ "B\ dh\ i\ fr\ ;k\ jnn\ pfd$
- iii)  $vk; @t\ le\ i\ ek.k\ i =$
- iv)  $Lo\ ?kks'k.kk\ i =$
- v)  $vk; i\ ek.k\ i =$
- vi)  $vk/kkj\ dkmZ*$
- vii)  $jktLFkku\ dk\ ey\ fuokl\ h\ i\ ek.k\ i = @jk'ku\ dkmZ$
- viii)  $fof'k" B\ Js\ kh\ ea\ vkonu\ grq\ fu; r\ i\ ek.k\ i = A$
- $l\ gh\ tkudkj\ h\ nus\ dh\ l\ Ei\ wkz\ ftEenkjh\ vkond\ dh\ gksxhA$

\*  $vk/kkj\ dkmZ\ ugh\ gks\ dh\ flFfr\ ea\ vkond\ vl; Ok\ V\ s\ i\ gpk\ i = l\ yXua\ dj\ l\ drk\ gs\ i\ j\ l\ r\ q\ i\ z\ k\ ue\ h\ vkokl\ ;\ l\ st\ uk\ l\ r\ x\ r\ vupku\ i\ k\ l\ r\ djus\ grq\ vk/kkj\ dkmZ\ vko'; d\ gA$

## 6. आवास आवंटन हेतु विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण व्यवस्था

- 6.1 योजना में आय वर्गानुसार उपलब्ध आवासों का आरक्षण निम्नानुसार किया गया है। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

rkfydk \*; \*

jkt; l jdkj ds foHkxka , oa jktch; mi Øeka ds depljh	vuq tutkfr	vuq tkfr	fodylak	vf/KLohdr i =dkj	I Sud WtI eaHkri ozI Sud i fjokj Hkh , oa mucs 'krfey g%	vuqj f(kr Js kh	
10 %	6%	9%	3 %	2%	10%	60 %	
					शहीद सैनिक की विधवा एवं आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग ग (ब)	अन्य सैनिक (स)

- 6.2 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष आवासों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- 6.3 किसी आरक्षित वर्ग में आरक्षण कोटे के प्रतिशत के अनुसार आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस आरक्षित वर्ग के आवेदनों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जायेगा।
- 6.4 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार / राजकीय विश्वविद्यालय / राज्य के स्थानीय निकायो व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक / विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को पृथक से undertaking देनी होगी कि परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं करने की स्थिति में आवंटित आवास वापस न्यास को सौंपना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित आवासों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 6.5 अनु. जाति / अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.6 विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य हो।
- 6.7 अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हे राजस्थान सरकार / भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
- 6.8 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी. एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी / पुत्र व उस पर आश्रितों से है।

- 6.9 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- 6.10 सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्रा/अन्य स्थानीय निकाय की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटित होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- 6.11 मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 6.12 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्डों हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार स्व घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 6.13 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
- अ. उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. के उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।
- ब. विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
- स. अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)
- 6.14 विकलांगो (निःशक्तजनो) के लिए शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत 2: आरक्षण निर्धारित किया हुआ है।

## 7. आवास का विवरण

उपरोक्त आवासों में निर्मित किये गये सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल एवं सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

rkfydk \*j\*

Ø-l a	vk; oxl	fufeir {k=Qy ¼ l ij fcVV&vi ¼	dejs	fdpUk	'kk&ky;	Luku?kj	fo'ks'k fooj.k
1-	vkfFkd nf"V l s detkj vk; oxl (EWS)	325 oxl QhV	2	1	1	1	ckyduh

- निर्मित क्षेत्रफल में फ्लेट्स का प्लिंथ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्र सम्मिलित है।

## 8. आवंटन की प्रक्रिया

- 8.1 आवेदन पत्रों की संवीक्षा तथा प्रशासनिक एवं पंजीकरण शुल्क जमा कराने के आधार पर पात्रता के सत्यापन पश्चात् लॉटरी द्वारा सफल आवेदकों का चयन (वरीयता निर्धारण) किया जायेगा ।
- 8.2 उपलब्ध आवासों की संख्या के 10 प्रतिशत ( कम से कम एक आवास) के समतुल्य आवेदकों की प्रतीक्षा सूची का भी चयन लाटरी द्वारा किया जावेगा । यह प्रतीक्षा सूची सफल आवेदकों को जारी मांग पत्र की तिथि से 18 माह तक वैध होगी ।
- 8.3 सफल आवेदकों को आवास की कीमत जमा कराने हेतु प्रोविजनल आवंटन पत्र/ मांग पत्र जारी किया जायेगा । निर्धारित अवधि में मांग राशि जमा नहीं करवाने पर राशि जमा कराने में असमर्थ रहे Defaulter आवेदकों का आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को प्रोविजनल आवंटन पत्र/मांग पत्र जारी किये जायेंगे ।
- 8.4 मांग पत्र के अनुसार सम्पूर्ण देय राशि जमा कराने पर आवास निर्माण के पश्चात् आवंटी को आवास आवंटन किया जायेगा ।
- 8.5 लाटरी में असफल आवंटियों को प्रशासनिक शुल्क काटकर पंजीकरण राशि बिना ब्याज लौटा दी जावेगी ।

## 9. आवास की कीमत का भुगतान

- 9.1 पंजीकरण राशि समायोजन के पश्चात् आवास की कीमत की शेष देय राशि का विवरण निम्नानुसार है ।

rkfydk \*y\*

Ø-l a 1	vk; oxl 2	vkokl 3	i ath; u jkf' k 4	l kbV lyku 5	dy ns jkf' k (3-4+5) 6
1-	vkfFkd nf"V l s detkj vk; oxl	3,90,000.00	(-)10,000.00	(+) 200.00	3,80,200.00

9.2 देय राशि निम्नानुसार आठ किश्तों में जमा करवानी है।  
rkfydk \*o\*

Ø-l a	i w}xg.k jkf'k dh fd'ra	vkfFkd nf"V l s detkj vk; oxl
1-	i Fke fd'r ikfotuy vkoà/u tkjh gkus ds 30 fnol ea	<b>45,000.00</b>
2-	f}rh; fd'r ikfotuy vkoà/u tkjh gkus ds 120 fnol	<b>45,000.00</b>
3-	r}rh; fd'r ikfotuy vkoà/u tkjh gkus ds 210 fnol	<b>45,000.00</b>
4-	prfK fd'r ikfotuy vkoà/u tkjh gkus ds 300 fnol	<b>45,000.00</b>
5-	i}pe fd'r ikfotuy vkoà/u tkjh gkus ds 390 fnol	<b>45,000.00</b>
6-	"k"Be- fd'r ikfotuy vkoà/u tkjh gkus ds 480 fnol	<b>45,000.00</b>
7-	l lre- fd'r ikfotuy vkoà/u tkjh gkus ds 570 fnol	<b>45,000.00</b>
8-	v"Ve- fd'r ikfotuy vkoà/u tkjh gkus ds 660 fnol	<b>65,200.00</b>
dy ns jkf'k		<b>3,80,200.00</b>

9.3 सफल आवेदक द्वारा आवास पर ऋण चाहने पर न्यास द्वारा बैंक/सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया जावेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये आवंटी को सम्बन्धित बैंक,सरकारी वित्तीय संस्थाओं का पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी स्वयं आवंटी की होगी।

9.4 केन्द्र सरकार से 1.50 लाख का अनुदान प्राप्त करने के लिए आवंटी को वरियता निर्धारण पश्चात् आवेदन करना होगा। अनुदान हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप आवेदक पुस्तिका के साथ संलग्न है केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनानर्गत आर्थिक



दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवास पर अनुदान स्वीकृत करने की स्थिति न्यास निर्णय के अनुसार अनुदान में से निश्चित राशि को अन्तिम किश्त में से समायोजित कर लिया जायेगा। प्रथम छः किश्तों के आवेदक को उपरोक्त वर्णित समयावधि में जमा करवानी होगी। केन्द्र से अनुदान राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समस्त किश्तें जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

9.5 आवंटी द्वारा पूर्वग्रहण राशि की किश्तें प्रोविजनल आवंटन के अनुसार निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाई गई तो आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा इसके लिए न्यास द्वारा पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी परन्तु द्वितीय पूर्वग्रहण राशि की निर्धारित तिथि के पश्चात् एक माह की अवधि के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटी 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित राशि जमा कर आवंटन बहाल करवा सकता है। एक माह पश्चात् जमा राशि में से आवास की कीमत की 10 प्रतिशत राशि एवं प्रशासनिक शुल्क काटकर शेष राशि लौटा दी जावेगी तथा निरस्त आवंटन प्रतीक्षा सूची में से वरीयतानुसार अन्य आवेदकों को कर दिया जायेगा। राशि जमा नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त होने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवंटी की होगी एवं निरस्त होने पर प्रार्थना पत्र पर पुनः विचार नहीं किया जावेगा।

9.6 द्वितीय पूर्वग्रहण राशि की अवधि के बाद की अवधि में लगातार दो किश्तें जमा नहीं करवाने की स्थिति में भी आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा। निरस्त आवंटन प्रतीक्षारत आवेदकों को आवंटित नहीं करने की स्थिति में आवंटी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 15% की दर से ब्याज सहित राशि जमा कर आवंटन बहाल करवा सकता है। निरस्त आवंटन प्रतीक्षारत आवेदक को आवंटित होने पर आवंटी के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

9.7 आवास निर्माण कार्य भुगतान अवधि से पूर्व होने पर समस्त देय किश्तें एक साथ वसूल की जावेगी।

## 10. आवास की रजिस्ट्री एवं कब्जा

10.1 आवंटी द्वारा आवास की सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाने जाने के पश्चात् 12 माह के भीतर पंजीयन (रजिस्ट्री) नहीं कराने पर न्यास द्वारा 500 रु प्रतिमाह तक पेनल्टी लगाई जावेगी। मांग राशि एवं लीज जमा कराने के पश्चात् न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। आवंटी को उप पंजीयक कार्यालय कोटा में न्यास द्वारा दी गई लीज डीड का पंजीयन करवाना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में समस्त व्यय आवंटी को वहन करना होगा।

10.2 न्यास द्वारा जारी लीज डीड उप पंजीयक से पंजीकृत कराने की तिथि से 45 दिवस में पंजीकृत लीज डीड की प्रमाणित छाया प्रति न्याय कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अन्यथा आवंटी से 2,000/- रु की शास्ति वसूली जावेगी।

10.3 आवास की समस्त राशि जमा एव लीज डीड कराने के पश्चात् कब्जा पत्र जारी किया जावेगा। आवन्टी को आवास का कब्जा न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर दिया जावेगा। आवास का मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं करने पर स्वतः ही कब्जा लिया हुआ मान लिया जावेगा। मौके पर कब्जा प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी आवन्टी की होगी।

### 11. अन्य महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

- 11.1 आय वर्गानुसार परिवार में पति, पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा। यदि पति पत्नी दोनों को ही आवंटन हो गया तो एक आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- 11.2 प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 11.3 आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना आहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन किया जायेगा। रख-रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा।
- bl ckr vkokl dh ykxr es gh j [k j [kko grq vkfFkd nf"V l s detkj vk; oxl dh vko\h l s 16250 jkf'k ol ny dh tkoxhA bl jkf'k dks iFkd [kkrs es tek djok; k tk; xkA bl [kkrs es l s vko'; drkuq kj **Maintenance** grq jkf'k l ks k; Vh ds [kkrs es gLrkUrfjr dj nh tk; xhA
- 11.4 प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी जमा की गई समस्त राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
- 11.5 .आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जावेगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।

- 11.6 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगरपालिका कर, विकास कर, लीज इत्यादि।
- 11.7 आवेदक द्वारा शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना दिये जाने पर या कोई तथ्य छिपाने पर आवेदक का आवंटन तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। यदि आवास का आवंटन हो चुका हो तो न्यास ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सदैव सक्षम होगा, तथा आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी एवं जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 11.8 यदि आवेदक आवास आवंटन से पूर्व जमा आवंटन राशि लौटाने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण राशि में से 10 प्रतिशत राशि कटौती करके शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। ऐसे प्रकरणों में जमा प्रशासनिक शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
- 11.9 स्वामित्व हेतु आवास आवंटन के पश्चात् नियमानुसार देय लीज मनी (नगरीय कर) आरक्षित दर की 2.5 % प्रतिवर्ष अग्रिम जमा करवानी होगी। प्रत्येक 15 वर्ष पश्चात् नगरीय कर में 25 प्रतिशत वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी। निर्धारित अवधि तक नगरीय कर जमा नहीं करवाने पर 15 प्रतिशत ब्याज देय होगा। आठ (8) वर्ष का नगरीय कर एकमुश्त जमा करवाने पर भविष्य में नगरीय कर में छूट प्रदान कर दी जावेगी।
- 11.10 आवास का आवंटन स्वयं / पत्नि या दोनों के नाम से और अविवाहित होने की स्थिति में स्वयं के नाम से कराना होगा।
- 11.11 आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- 11.12 किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
- 11.13 आवंटित आवास की छत पर न्यास का अधिकार होगा।
- 11.14 आवास का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में आवास में निवास अनिवार्य होगा अन्यथा राज्य सरकार/नगर विकास न्यास को ऐसे आवासों का कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।
- 11.15 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपने बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या खाली रद्द चैक संलग्न करना होगा। पास बुक के प्रथम पृष्ठ में आवेदक का नाम, खाता संख्या बैंक के नाम एवं IFSC कोड का उल्लेख होना चाहिये ताकि लॉटरी में असफल होने की स्थिति में सीधे आवेदक के खाते में पंजीकरण राशि भेजी जा सकें।

- 11.16 आवास का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर भूमि निस्तारण नियम 1974 / राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) (संशोधन) नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज के आधार पर किया जावेगा। आवंटी पर राजस्थान नगरसुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) (संशोधन) नियम 2012 के समस्त प्रावधान संशोधन सहित लागू होंगे।
- 11.17 राज्य सरकार एवं न्यास के समस्त निर्णय आवंटी पर पूर्ण रूप से लागू होंगे। आवास आवंटन व अन्य बिन्दू पर कोई विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास कोटा का निर्णय मान्य होगा।
- 11.18 समस्त पत्र व्यवहार चैक, ड्राफ्ट, पे-आर्डर l fpo] uxj fodkl U; kl |dkk/k के नाम से जमा कराई जा सकती है। udn jkf'k Lohdkj ugha gksxhA स्थानीय चैक / ड्राफ्ट / पे.आर्डर के पीछे आवेदक का नाम, फार्म संख्या, एवं श्रेणी आवश्यक रूप से अंकित करे। आवेदक डी.डी./पेआर्डर की छाया प्रति पर आवेदन पत्र संख्या अंकित कर संलग्न करें।
- 11.19 लॉटरी आम जनता के समक्ष निकाली जावेगी। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाई जावेगी। लॉटरी के पूर्व पूर्ण/अपूर्ण नामों की सूची न्यास के सूचना पट्ट पर चस्पा की जावेगी। अपूर्ण आवेदनों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। आवासों की लॉटरी योजनावार आरक्षण वर्गीकरण के अनुसार अलग-अलग निकाली जावेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर लॉटरी निकलने के उपरान्त भी किसी आवेदन पत्र में कोई कमी पाई जाती है तो सफल आवेदको की सूची में से नाम हटा दिया जावेगा।
- 11.20 आवंटी आवास आवंटन का तिथि से 10 वर्ष तक आवास का बेचान नहीं कर सकता। अन्यथा आवंटन निरस्त कर आवास अन्य प्रतीक्षारत आवंटी को आवंटित कर दिया जायेगा। 10 वर्ष पश्चात् भी किसी भी आवंटी द्वारा बिना अनुमति बेचान करने की सूचना न्यास की जानकारी में आने पर आवास की आवंटन निरस्त किया जावेगा।
- 11.21 वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने के दृष्टि से निम्नांकित फिटिंग / फिक्सचर आदि का कार्य आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा। कब्जा दिये जाने के पश्चात् समस्त जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
- 1- विद्युत फिटिंग / फिक्सचर      2- सेनेटरी फिटिंग / फिक्सचर

स्व प्रमाणित  
फोटो

स्व घोषणा पत्र  
(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं .....पुत्र/पत्नि/पुत्री .....

आयु.....निवासी .....

.....घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।
- (2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैंने द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।
- (3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
- (4) मुझे या मेरे आश्रित को सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था की किसी भी योजना में रियायती दर पर आवंटित आवास को 10 वर्ष पूर्व बेचान नहीं किया गया है

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .....

घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

## आय संबंधी स्व घोषणा पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

मैं .....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .....जाति .....

निवासी.....

तहसील.....जिला.....

राज्य .....स्व. घोषणा करता/करती हूँ कि,मेरे पति/मेरी पत्नी एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रू0..... हैं।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

### घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .....

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

### आय प्रमाण-पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... इस विभाग में .....

पद पर कार्यरत हैं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी इनकी सकल मासिक आय रू0 ..... प्रति माह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

दिनांक :

के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :

विभाग/उपक्रम का नाम

**अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....  
.....जिला .....सम्भाग.  
.....राज्य ..... जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित  
जाति/जनजाति (सूची) संशोधनअधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित  
जाति/जनजाति में शामिल हैं।

हस्ताक्षर  
तहसीलदार  
(कार्यालय की मोहर सहित)

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु  
(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि .....(रैंक) .....  
(नाम) .....( नम्बर ) .....  
(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय  
रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत हैं। इनकी मासिक आय रूपयें  
..... प्रतिमाह हैं।  
(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी  
मासिक आय रूपयें ..... प्रतिमाह थी।  
(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री .....  
..... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू0 .....  
प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमान्डिंग ऑफिसर/  
सक्षम अधिकारी/सचिव,  
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :  
दिनांक

( जो लागू न हों उसे काट दें।)

सैनिक कोटे के अन्तर्गत आरक्षित भूखण्डों हेतु स्व घोषणा पत्र  
सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)  
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री .....  
आयु.....निवासी.....  
.....घोषणा करता/करती हूँ, कि:-

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व० पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/..... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

### घोषणा

मैं ..... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .....  
..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर



## विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....

.....

की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग हैं।

स्थान :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

दिनांक :

के हस्ताक्षर मय मोहर

## अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..... निवासी.....

.....तहसील .....

जिला ..... अधिस्वीकृत पत्रकार है।


स्थान :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत

दिनांक :

अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

**Manglam Apartment-  
Prem Nagar Housing Scheme  
(Under Chief Minister's Jan Awas Yojana)**



**Floor Plan EWS**